67 67

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1388–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–09–2011 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 28/अ–3/2010–11

दुर्गा अहिरवार पुत्र रामप्रसाद अहिरवार
निवासी ग्राम पीरा तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

नथुवा पुत्र सरमनिया अहिरवार
निवासी ग्राम पीरा तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0

.... अनावेदक

....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक आवेदक
श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/5/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–09–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने ग्राम पीरा राजस्व निरीक्षक मण्डल चन्द्रनगर तहसील राजनगर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1469/2 रकबा 1.659 हेक्टर भूमि का नक्शा तरमीम किये जाने बावत् तहसीलदार राजनगर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 28/अ–3/2010–11 दर्ज किया व राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 8–9–2011 को

तरमीम कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 29–09–2011 द्वारा उक्त तरमीम की पुष्टि कर दी । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अग्राह्य किया कि तरमीम कार्यवाही एक प्रशासकीय कार्यवाही है जिसकी निगरानी होती है अपील नहीं । इस कारण आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 29–09–2011 से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अनावेदक ने आराजी खसरा नम्बर 1469/2 रकबा 1.659 हेक्टर भूमि का नक्शा तरमीम के लिये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शा तरमीम की कार्यवाही मात्र अनावेदक के नाम से कर दी किन्तु आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 1469/3 ख जो पुस्तैनी भूमि है उसे राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर नक्शा तरमीम के समय कोई सूचना पत्र नहीं दिया और राजस्व निरीक्षक द्वारा जो नक्शा तरमीम आवेदक के मौके पर कब्जे व स्वत्व की भूमि पर नक्शा तरमीम गलत ढॅग से किया गया जिस कारण राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी बताया कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नक्शा तरमीम का आवेदन दिया था उसमें उपरोक्त खसरा नम्बर 1469 के सभी भूमिस्वामियों आवेदक एवं अन्य को पक्षकार बनाये बिना कार्यवाही की गई है जबकि आवेदक उक्त प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार था । खसरा नम्बर 1469 के सभी बटांक नम्बरों का नक्शा तरमीम की कार्यवाही एक साथ करनी चाहिये थी किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की भूमि जो उपरोक्त खसरा नम्बर 1469/3ख बटांक नम्बर की भूमि है उसका नक्शा तरमीम की कार्यवाही नहीं की गई और तहसीलदार ने उक्त तथ्य का बिना अवलोकन किये आदेश पारित करने में भूल की है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की

जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–09–2011 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश को न्यायसंगत एवं विधिनुकूल बताते हुये, उक्त पारित आदेश दिनांक 29.09.2011 स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 1469 के दो से ज्यादा बटांक है तथा उक्त सभी बटांकों की तरमीम नक्शे पर नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में नक्शे पर तरमीम सभी बटांकों के लिये एक साथ समग्र रूप से होनी चाहिये न कि किसी एक बटांक विशेष की । क्योंकि इससे अन्य कृषकों के हित प्रभावित होते हैं । बटांक कायमी के साथ नक्शा तरमीम कर भू–अभिलेख को अद्यतन रखना राजस्व अधिकारियों का महत्वपूर्ण दायित्व है ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की कार्यवाही प्रथमदृष्टया ही त्रुटिपूर्ण है अतः निरस्त की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर